

दिनांक 06 -04-2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर के द्वारा प्रकरण संख्या 57/2021 अनवान तहसीलदार सेखाला बनाम समस्त गांव राजसागर मे पारित आदेश दिनांक 24-11-2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है।

वकील अपीलांट श्री श्रवण चौधरी एवं रेस्पों की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री नवलसिंह दहिया उपस्थित। पक्षकारों के अधिवक्ताओं की अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-11-2021 एवं अपील के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर मनन किया।

अपीलान्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमें पक्षकार बनाये बिना, नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये हमारी खातेदारी भूमि में से रास्ता निकाल दिया जबकि विधि के प्रावधान अनुसार किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि बिना खातेदार की सहमति के तथा उसको सुने बिना खातेदारी भूमि का रकबा कम नहीं किया जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के रास्तो सम्बन्धी जारी परिपत्र में भी सुनवाई का अवसर देने के निर्देश होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि एवं न्याय संगत नहीं है।

इस सम्बन्ध में अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रथमतः अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को रोके जाने का निवेदन किया तथा विकल्प में यह भी कथन किया कि प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में हमें सुनवाई का अवसर देकर, मौके फर्द हमारी उपस्थिति में तैयार की जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते के सम्बन्ध में जारी परिपत्र की पूर्ण पालना करते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है।



24/4/22
रिमाण्ड
जाय
जाय
जाय

हमने पक्षकारों अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तब
आदेश जो ग्राम राजसागर (चामू) तहसील सेखाला के संबंध में
गये आदेश दिनांक 24-11-2021 एव पत्रावली के साथ प्रस्तुत
आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एव अध्ययन किया। जिसके अनुसार
प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर
बिना, मौके की जांच किये बिना तथा विधिक प्रक्रिया अपना
अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो समर्थन योग्य नहीं माना जा
है।

परिणामस्वरूप अपीलान्ट की उक्त अपील आंशिक स्वीकार करते
अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर के द्वारा प्रकरण सं
57/2021 में पारित आदेश दिनांक 24-11-2021 को निरस्त किये बिना इ
आशय के अतिरिक्त निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलान्टगण को सुनवाई का
नोटिस जारी कर, उसे सुनकर उसकी उपस्थिति में रास्ते का मौका निरीक्षण
करे। उक्त कार्यवाही एक माह में सम्पादित करते हुए पक्षकारान के खातेदारी
की भूमि में से रास्ते के सम्बंध में पुनः विधिसमत निर्णय पारित करे। तब तक
अपीलाधीन आदेश में वर्णित अपीलान्ट के खातेदारी के खंसरा न0 1629 की
भूमि पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करे। इस अतिरिक्त निर्देश के साथ
उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो।
निर्णय आज खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



बति. सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर